

प्रेषक,

उपायुक्त, गुरुग्राम।

सेवा में

M/s Sterling Infrastructure LLP,  
20A, Rajpura Road, Civil Lines,  
Delhi-110054.

क्रमांक 09 / एम0बी0

दिनांक 17/11/2022

विषय:-

**NOC regarding applicability of Forest Laws on Non-Forest Land & the site is not affected by Section 4 & 5 of the PLP, Act 1900 & Aravali Notification 07.05.1992.**

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

विषयाधीन मामले में उक्त के सम्बन्ध में तहसीलदार, मानेसरव उप वन संरक्षक, गुरुग्राम से रिपोर्ट प्राप्त की गई जो निम्न प्रकार है:-

तहसीलदार, मानेसर ने अपने कार्यालय के पत्र क्रमांक 934/ओ.के. दिनांक 13.12.2021 के द्वारा रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रेषित की है जिसमें लिखा है कि फिल्ड स्टाफ से रिपोर्ट ली गई रिपोर्ट अनुसार अराजी भूमि खेवट/खाता नम्बर 724/743, 726/745, 765/785, 766/786, 769/789, 779/799 की अराजी मु0/किला नम्बर 58//3/1(4-7), 3/2(1-0), 3/3(0-16), 4/1(4-0), 8/1(2-8), 8/2(5-4), 9/1(4-0), 12/2(0-13), 12/3/1/1(4-12), 13/1(0-17), 13/2/1(5-18) कुल किता 11, रकबा 33 कनाल 15 मरला सालम की स्टरलिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर एल एल पी मालिक व काबिज है व खेवट/खाता नम्बर 107/110 अराजी मु0/किला नम्बर 48//24(8-0) का 29/32 भाग बकदर 7 कनाल 5 मरला स्टरलिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर एल एल पी मालिक व काबिज तथा 3/32 भाग बकदर 0 कनाल 15 मरला KJS Colonizers LLP मालिक व काबिज है। जिसकी मांगी गई बिन्दवार निम्न प्रकार है:-

1. उपरोक्त अराजी भूमि राजस्व रिकार्ड अनुसार दिनांक 07.05.1992 के नोटिफिकेशन अनुसार अरावली क्षेत्र में नहीं है।
2. उपरोक्त अराजी दिनांक 07.05.1992 के नोटिफिकेशन से पूर्व व उसके पश्चात मिसल हकियत चकबन्दी तक कभी भी अराजी मुतनाजा की किस्म गैर मुमकिन पहाड, गैर मुमकिन राडा, गैर मुमकिन बीहड, बंजर बीहड या रुद्र राजस्व रिकार्ड अनुसार नहीं है।
3. उपरोक्त अराजी भूमि दिनांक 07.05.1992 के नोटिफिकेशन से पूर्व व पश्चात अराजी मुतनाजा की किस्म चाही रही है।
4. उपरोक्त अराजी मुतनाजा मिसल हकियत/चकबन्दी ता हाल कभी भी शामिलता देह पंचायत देह/नगरपालिका/नगर निगम की मलकियत नहीं रही है।
5. उपरोक्त अराजी मुतनाजा का किसी माननीय न्यायालय में केस राजस्व रिकार्ड अनुसार नहीं चल रहा है।
6. उपरोक्त अराजी मुतनाजा SEZ (Special Economical Zone) में नहीं आता है।
7. उपरोक्त अराजी भूमि पर धारा 4, 6 व अवार्ड आदि राजस्व रिकार्ड अनुसार नहीं है।

उप वन संरक्षक, गुरुग्राम ने अपने कार्यालय के पत्र क्रमांक 2415-जी0 दिनांक 17.12.2021 के द्वारा अवगत कराया है कि उनके कार्यालय द्वारा ऑनलाईन दिनांक 17.09.2021 (M/s Sterling Infrastructure LLP) को गांव नौरंगपुर की 4.3062 एकड की फोरेस्ट क्लेरिफिकेशन जारी की जा चुकी है जिसकी छाया प्रति इस कार्यालय में प्रेषित की है जिसमें लिखा है कि Applicant M/s Sterling Infrastructure LLP Land Measuring 4.3062 (Acre) having Rect No./Killa No. 48//24min(2-0), 58//3/1min(3-1), 3/2(1-0), 3/3(0-16), 4/1(4-0), 8/1(2-8), 8/2(5-4), 9/1(4-0), 12/2(0-13), 12/3/1/1(4-12), 13/1(0-17), 13/2/1(5-18), Land located at village Navrangpur District Gurugram made a proposal to use this land for Affordable Housing Project. It is made clear that:-

- A) As per records available above said land is not part of notified Reserved Forest, protected Forest under Indian Forest Act, 1927 or any area closed under section 4 of Punjab Land Preservation Act 1900.
- B) It is clarified that by the Notification No. S.O 8/P.A 2/1900/S. 4/2013 dated 04-01-13 all Revenue Estate of **Gurgaon** is notified u/s 4 of PLPA 1900 and S.O 81/PA.2/1900/S.3/2012 u/s 3 of PLPA 1900. The area is however not recorded as Forest in the Government record but felling of any tree is strictly prohibited without the permission of Divisional Forest officer, **Gurgaon**.
- C) If approach is required from Protected forest by the user agency, the clearance/regularization under Forest Conservation Act 1980 will be required. Without prior clearance from Forest Department, the use of Forest land for approach road is strictly prohibited. **M/s Sterling Infrastructure LLP** whose land is located at Village/City **Navrangpur** District **Gurgaon** must obtain clearance as applicable under Forest Conservation Act. 1980.
- D) As per the records available with the Forest Department **Gurgaon** the area does not fall in areas where plantations were raised by the Forest Department under Aravali project.
- E) All other statutory clearances mandated under the Environment protection Act. 1986, as per the notification of Ministry of Environment and Forest, Government of India dated 07-05-1992 or any other Act/Order shall be obtained as applicable by the project proponents from the concerned authorities.
- F) The project proponent will not violate any Judicial Order/Direction issued by the Hon'ble Supreme Court/High Courts.
- G) It is clarified that the Hon'ble Supreme Court has issued various judgments dated 07-05-2002, 29-10-2002, 16-12-2002, 18-03-2004, 14-05-2008 etc. pertaining to Aravali region in Haryana, which should be complied with.
- H) It shall be the responsibility of user agency/applicant to get necessary clearances/ permissions under various Acts and Rules applicable if any, from the respective authorities/department.
- I) This certificate is not applicable in case of Environment Department notification dated 10.03.2016 for Screening Plant, and notification dated 11.05.2016 for Stone Crusher. Investor/Applicant has to take clearance from Environment Department in case of Screening Plant and Stone Crusher.

It is subject to the following conditions:

1. Clarification Is Hereby Issued Subject To Conditions Mentioned Above.

अतः तहसीलदार, मानेसर व उप वन संरक्षक, गुरुग्राम की रिपोर्ट अनुसार आपको **Village Naurangpura, Sector-79, District Gurugram** की उक्त वर्णित भूमि की Aravalli Clearance/Non Forest Land रिपोर्ट इस शर्त पर जारी की जाती है कि कि प्रार्थी कम्पनी को दी गई एन0ओ0सी में यदि किसी नम्बरो पर हरियाणा सरकार के किसी भी विभाग द्वारा किसी प्रकार की भूमि अर्जन कार्यवाही धारा 4, 6 व अवार्ड आदि राजस्व रिकार्ड अनुसार पाया गया तो सम्बन्धित नम्बरो की अरावली एन0ओ0सी0 स्वतः रद्द समझी जावेगी जिसके लिए प्रार्थी कम्पनी स्वयं जिम्मेवार होगी।

कृते: उपायुक्त, गुरुग्राम।